राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–"मिनी रत्न" कंपनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला: श्री गंगानगर(राज.)
फोन: 01509–220006, 220084, 223877(ऑफिस)
फैक्स: 01509–220068, 223877(ऑफिस)

NATIONAL SEEDS COPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking-"MINI RATNA" Company)
CENTRAL STATE FARM, SURATGARH
Dist.: Shri Ganganagar (Raj.)
Phone: 01509-220006, 220084, 223877(Office)
Fax: 01509-220068, 223877(Office)

सी.एस.एफ / उघान / 4(बाग निलामी) / एन.एस.सी / सूरतगढ़ / 2022–23 दिनांक: –19-05-2022

b&uhykeh lpuk

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सुरतगढ, जिला–श्रीगंगानगर (राजस्थान) में स्थित बाग के फलों की वर्ष 2022–23 के लिये नीलामी दिनांक 08.06.2022, को b&fufonk d ek/;e से की जाएगी, निविदा भरने की तारीख व समय दोपहर 1.00 बजे दिनांक 08.06.2022 तक निर्धारित है तथा निविदा उसी दिन शाम 3.00 बजे फार्म समिति के समक्ष खोला जायेगा। बाग लेने के इच्छुक ठेकेदार दिनांक 08.06.2022 दोपहर 1.00 तक ई&नीलामी में भाग ले सकते हैं। निविदा में भाग लेने के लिए रुपये 590 (500+18% GST) का fufonk Qke 'kYd अदा करने के साथ रुपये 70,000 EMD राशि RTGS/NEFT के माध्यम से dEih ;jkT; Qke lajr x< d uke ls देय होगा। सफल बोलीदाता की धरोहर राभि तथा प्रतिभुति राभि कार्य संतोषजनक पूरा होने पर ही लौटाई जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल बोलीदाता की धरोहर राभि बिना ब्याज के चैक द्धारा वापस कर दी जायेगी। उच्चतम बोली की 25 फीसदी राभि कार्यादेश प्राप्ति के nks fnol e tek djokuh होगी तथा सफल बोलीदाता को ठेके की स्वीकृत रकम का 8 फीसदी प्रतिभूति राशि (Security amount) NEFT/RTGS / डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 48 घन्टों में जमा करवानी होगी । नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी jk"Vh; cht fuxe fyfeVsM की वेवसाइट www.indiaseeds.com पर देखा जा सकती है।

नोटः –1. इच्छुक ठेकेदार / पार्टी का PAN No. / पेन कार्ड होना अनिवार्य है ।

ic/kd ¼mRiknu½
d`f"k funs'kd

uhykeh dh fy, miyC/k ckx esa Qyksa dk fooj.k fuEuor g&

Ø-l-	Ckkx dk uke	Qyksa dk uke	{ks=Qy gsDVs;j
1.	किन्नो बाग	किन्नो फल	9.00
2.	माल्टा बाग	माल्टा की विभिन्न किस्में (ब्लड रेड] जाफा, पाइनएप्पल, वी लेट)	5.20
3.	ग्रेप फ्रूट	चकोतरा फल	0.25
4.	मौसमी बाग	मौसमी फल	3.85
5.	अमरूद बाग	अमरूद फल (एल–49 एवं इलाहाबादी सफेदा)	8.60
6.	नींबू बाग	कागजी नींबू	1.00
7-	आंवला बाग	आंवला फल	3.50
8.	बेल बाग	बेल फल	2.60
9.	बेर बाग	बेर की विभिन्न किस्में (उमरान, कैथली, गोला इत्यादि)	4.00
10.	आम	आम फल	0.70
		dqy {ks=Qy gsDVs;j ½&	38-70
11.	खजूर	खजूर फल बॉउंड्री साइड नर्सरी क्षेत्र	39 पेड़
12.	फालसा	फालसा फल बॉउंड्री साइड नर्सरी क्षेत्र पेड़	30 पेड़
13.	बॉउंड्री साइड	जामुन व करोंदा फल	जामुन–200 पेड़ करोंदा–940 पेड

COMMERCIAL- BID/TENDER FORM

The Farm Head
Central State Farm,
Suratgarh,
Shri ganganagar, Rajasthan.

Sub: Your open e-tender notice dated --------------------- for award of Fruit Contract of the farm for the period from 1 st July, 2022 to 30th June, 2023) .

Sir,

I/We have carefully gone through all the essential terms & conditions of tender relating to awarding of Fruit contract of Central State Farm, Suratgarh for plucking and sale of fruits from farm orchards situated in an area of 38.70 Ha. and fruit trees located on the boundary side, for the period from 1 st July, 2022 to 30th June, 2023 .

I declare that I have carefully read the terms & conditions of fruit contract and that I will comply with all the terms and conditions of the contract and offer my/our highest rates for the fruit contract rate are as under:

S.No.	Name of fruits andapproximate area in Ha,	Rates for total area (38.70 Ha.) and 1209 boundry fruit plants/trees
	Kinnow----------------------------9.00 Mosami, Malta-------------------9.05 Kagzi Lime-----------------------1.00 Aonla-chakaiya,Banarasi ---- 3.50 Bael------------------------ ------2.60 Guava- A. Safeda, L-49-------8.60 Grape fruit----------------------0.25 Ber (Umran, Gola etc.)--------4.00 Mango----------------------------0.70 TOTAL ---------------------------**38.70** Karonda fruits trees--------940 Nos. Jamun fruit tress------------200 Nos. Falsa fruit plants------------30 Nos. Date fruit trees---------------39 Nos.	

I/we agree with all the terms and conditions of fruit contract at Central State Farm Suratgarh, Shri ganganagar (Rajasthan) as laid down by National Seeds Corporation Ltd.

Signature…………………………
Name …………………………
Address……………………….
Seal of Authorised signatories with official stamp

Date :…………………………
Place :……………………….

TECHNICAL -BID

To **FROM…………………………………..**
Farm Head,
Central State Farm,
Suratgarh, Shri ganganagar
Rajasthan. **……………………………………….**

Profiles of company / firm/Indivisual are as under:

1. **Particulars of the company / firm / Indivisual :-**

Name of the firm/company/Indivisual with complete address, contact no. & E-mail address	**Type of Firm i.e. proprietorship/partnership/ Pvt. Ltd.company/ society/ Ltd. etc. with its Registration No. (If any)**	**Names & contact no. of Proprietor/Partners /Directors etc.**	Other information if any

Attach the necessary valid document in support of claim.

2 Registration::

PAN No.	**Aadhar No.**	**Voter ID NO**

3 EMD

Banker's Name	**Draft no./UTR**	**Amount (in Rs.)**

4 A self Declaration Certificate that participant is not blacklisted by any office of the NSCL or any other Government Organization. (Enclose Copy).

I hereby certify that all the information mentioned above are true and in case any information is found to be incorrect, my bid may be treated as rejected by NSC management.

Thanking you,
Signature: -------------------------
Place: ---------
Name of Authorized Signatory: -----
Date: -----------------
Address:----------------------------
Phone/Mobile No: - -----------

DECLARATION OF NON-BLACKLISTING

I/We……………………………………………Proprietor/Partner/Authorized signatory of M/S………………………......................... ………………………………… do hereby solemnly confirm and declare as under:

1. My above mention firm / name is not been Black listed/ Delisted/ Prosecuted by any Central/ State/ U.T. Government Organizations/ Departments/Autonomous body / Research institutions/ Corporations from participation in tenders/ contracts.
2. That there is no criminal case pending against me in the Court of law.
3. I/We understand that if during any stage of fruit Contract awarded to me by Central State Farm, Suratgarh, Shri ganganagar, it comes to knowledge that any information/documents related to fruit contract submitted by me are false then CSF, Suratgarh, Shri ganganagar may take disciplinary action against me as per terms and conditions of the fruit Contact.

Verified that contents of above declaration are correct and true to the best of my knowledge and belief. Nothing has been concealed by me herein.

Signature: -------------------------
Place: ---------
Name of Authorized Signatory: -----
Date: -----------------
Address:----------------------------
Phone/Mobile No: - -----------

Check list of documents required to fulfill the eligibility criterias of

Technical bid of fruit contract

Sl.No	Document	Details and validity period	Remarks
1.	Pan No		
2.	Aadhar card No.		
3.	E.M.D of Rs 70,000/- Transactions details of RTGS/NEFT of online deposit of EMD by tender.		
4.	Terms & Conditions of fruit contract duly signed Note : Each page of Terms & Conditions should be signed by contractor/Tenderer		
5.	Undertaking regarding non blacklisting of his firm/Individual.		

Signature with Stamp :

Name :

Address :

Mobile and E Mail ID :

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–"मिनी रत्न" कंपनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला: श्री गंगानगर(राज.)
फोन: 01509–220006, 220084, 223877(ऑफिस)
फैक्स: 01509–220068, 223877(ऑफिस)

NATIONAL SEEDS COPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking-"MINI RATNA" Company)
CENTRAL STATE FARM, SURATGARH
Dist.: Shri Ganganagar (Raj.)
Phone: 01509-220006, 220084, 223877(Office)
Fax: 01509-220068, 223877(Office)

File No. CSF-Horti.4 (Orch.Auction) NSC-SRG/2022-23 Date: 19.05.2022

NOTICE INVITING E-TENDER

E-tenders under Two Bid System are invited for awarding fruit contract of Central State Farm, Suratgarh for plucking and sale of fruits situated in an area of 38.70 hactere for a period of one year starting from 01.07.2022 to 30.06.2023. Details of eligibility criteria, tender schedule and other Terms and Conditions can be viewed and downloaded from https://indiaseeds.eproc.in & www.indiaseeds.com

Particulars	**Details**
Date of issueof NIT	20.05.2022
Tender Document Download Start Date/time Tender Document Download End Date/time	From 21.05.2022 – 10:00 AM onwards To - 08.06.2022 – upto 1.00 PM
Date and time for submission of online bid	From 21.05.2022 – 10:00 AM onwards To - 08.06.2022 – upto 1.00 PM
Date and time of opening of Technical Bid & Financial Bids in Online mode at C.S.F,Sradargarh.	Technical Bids Opening : At 3.00 PM on 08.06.2022 Financial Bids Opening: Later on after evaluation of Technical Bids.
Tender Fee to be deposited online	Rs.590 (Five Hundred Ninty only) With GST
EMD Security Deposit (To be deposited by successful bidder after issue of acceptance letter/Work order by means of Demand Draft or Bank Guarantee)	EMD : Rs.70,000/-(Rs Seventy Thousands Only) to be deposited online by RTGS/NEFT Security Deposit : 8% of fruit value Note: Security money and E.M.D of Rs 70,000 will be reaterned after complition of auction period and successful bidder will have to deposit 25 % of fruit value and 8 % security money of fruit value within two working days and balance amount of fruit value as per terms and condition. Demand Draft or Bank Guarantee drawn in favour of National Seeds Corporation Ltd, Sardargarh.
Address for Communication	Farm Head, Central State Farm, Suratgarh, Shri Ganganagar-335804 (Rajasthan) Phone no.01509220084
Contact Person (with Phone No &E-Mail)	Shri Veer Singh, Manager (P) Central State Farm, Suratgarh, Shri Ganganagar-335804 (Rajasthan) Mob :8949598268, **7733998893** Email : csf.suratgarh@indiaseeds.com,
This Tender Document contains Two Parts **Technical Bid** : Terms and Conditions of fruit contract giving details of EMD details, Eligibility criterias for participating in the tenders, Details of documents to be submitted by the tenderer, nature of work to be performed by the fruit contractor. **Financial Bid** : Financial bid document	

NSC reserves the right to make any alteration/modification in theTender Document or scrap the tender at anystage withoutassigning any reason.

Mamanger (P)
Fram Head

Section 1

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

DEFINITIONS:

- **C1 India Private Limited:** Service provider to provide the e-Tendering Software.
- **NSCL e-Procurement Portal:** An e-tendering portal of National Seeds Corporation Limited ("NSCL") introduced for the process of e-tendering which can be accessed on https://indiaseeds.eproc.in.

I. ACCESSING / PURCHASING OF BID DOCUMENTS :

- It is mandatory for all the bidders to have Class-III Digital Signature Certificate (With Both DSC Components, i.e. Signing & Encryption) from any of the licensed Certifying Agency under CCA, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India to participate in e-tendering portal of NSCL. Bidders can see the list of licensed CA's from the link www.cca.gov.in C1 India Pvt. Ltd. also facilitate Class III Digital Signature Certificate (With Both DSC Components, i.e. Signing & Encryption) to the bidders. Bidder may contact C1 India Pvt. Ltd. at mobile no. +91-8130606629 for DSC related queries or can email at vikas.kumar@c1india.com

- To participate in the e-bid, it is mandatory for the Applicants to get themselves registered with the NSCL e-Tendering Portal (https://indiaseeds.eproc.in) to have a user ID & Password which has to be obtained by submitting a non-refundable annual registration charges of Rs. 3416/- inclusive of all taxes through **online** mode. Validity of Registration is 1 year.

- The amendments / clarifications to the tender, if any, will be posted on the NSCL e-Tendering Portal (https://indiaseeds.eproc.in).

- To participate in bidding, bidders have to pay EMD (refundable) as per the amount mentioned in the tender document online through NEFT/RTGS after generating E-challan from https://indiaseeds.eproc.in.

- To participate in bidding, bidders have to pay Tender Processing Fee of Rs. 570/- inclusive of all taxes (Non-refundable) through online mode (internet banking/debit card/credit card).

- The Bidder may modify or withdraw their bid after submission prior to the Bid Due Date. No Bid shall be modified or withdrawn by the Bidder after the Bid Due Date and

Time.

- Both 'EMD' and 'Tender Document Fee' are mentioned in individual tender document as published at NSCL e-Tendering Portal (https://indiaseeds.eproc.in).

- For helpdesk, please contact e-Tendering Cell and Help Desk Support MondaytoFriday Ph: **0124-4302033/36/37, nsclsupport@c1india.com.**

- It is highly recommended that the bidders should not to wait till the last date of bid submission to avoid complications like internet connectivity issue, network problems, system crash down, power failure, browser compatibility issue, system compatibility issue, improper digital signature certificate problem etc. In view of this context, neither M/s National Seeds Corporation Limited nor M/s. C1 India Pvt. Ltd will be responsible for such eventualities.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–"मिनी रत्न" कंपनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला: श्री गंगानगर(राज.)
फोन: 01509–220006, 220084, 223877(ऑफिस)
फैक्स: 01509–220068, 223877(ऑफिस)

NATIONAL SEEDS COPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking-"MINI RATNA" Company)
CENTRAL STATE FARM, SURATGARH
Dist.: Shri Ganganagar (Raj.)
Phone: 01509-220006, 220084, 223877(Office)
Fax: 01509-220068, 223877(Office)

दिनांकः –19.05.2022

Qkel e ckx d Qyk dh uhykeh ¼1 tqykbZ 2022 ls 30 tqu 2023½ grq o"kZ 2022&23 ds fy, fu;e o 'krsZ ।

1. टेण्डर/नीलामी में भाग लेने से पूर्व कम से कम दो पहचान पत्र, जैसे चुनाव आयोग द्वारी पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, खेत का खसरा–खतोनी, पैन कार्ड आदि प्रस्तुत करना होगा जिससे ठेकेदार का नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई साझीदारी फर्म है तो उक्त कागजात साझेदारों से सम्बन्धित हो। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई पंजीकृत प्रमाण–पत्र व निदेशक मण्डल के सदस्यगण की सूची व उक्त वर्णित कागजात मे से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
2. प्रत्येक बोलीदाता/निविदादाता को बोली/टेण्डर में भाग लेने से पहले सम्मिलित होने के लिए फार्म द्वारा निश्चित की गई धरोहर राशि (ईएमडी) j—70000/–(रूपये सत्तर हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो Þjk"Vªh; cht fuxe fyfeVsMÞ] lwjrx<+ के नाम देय हो फार्म खजाँची के पास जमा कराना होगा। असफल बोलीदाता की धरोहर राशि बोली समाप्त होने पर चैक द्वारा लौटा दी जावेगी। बोली स्थल पर कोई अस्त्र–भास्त्र ले जाना निषिद्व है। सन्देहास्पद दभाा में तलाभाी ली जा सकती है ।
3. फार्म द्वारा बाग के फलों के ठेके की स्वीकृति सफल बोलीदाता/निविदादाता को जारी होने के 48 घण्टों में ठेके की स्वीकृत रकम का 8 प्रतिभात के बराबर प्रतिभूति राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा फार्म में जमा करानी होगी।
4. फार्म प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने पर कि ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों द्वारा फार्म को कोई हानि नही हुई है तथा ठेका शर्तो के अनुसार संतोषजनक पूरा हो गया है। ठेकेदार द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी। जमा की गई धरोहर व प्रतिभूति राशियों पर फार्म द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में यह राशि फलों के एवज में ठेकेदार द्वारा जमा की जाने वाली राशि मे समायोजित नही की जायेगी।
5. अगर सफल बोलीदाता/निविदादाता प्रतिभूति राशि 48 घण्टों में डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा फार्म में जमा नहीं कराता है तो उसके द्वारा ठेके में भाग लेने हेतु जमा करवायी गयी धरोहर राशि j70000/– (रूपये सत्तर हजार मात्र) फार्म द्वारा जब्त कर ली जायेगी व ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
6. केन्द्रीय राज्य फार्म, सुरतगढ़ के सक्षम प्राधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये बोली/टेण्डर को अस्वीकृत अथवा निरस्त कर दें।
7. खरीददार को बाग के फल तोड़ने के अधिकार की अवधि विभिन्न फलों के अनुसार भिन्न–भिन्न निम्नवत होगीः–

(अ) नीम्बू (बारहमासी व कागजी)	–	31 मार्च, 2023
(ब) अमरूद	–	31 मार्च, 2023
(स) माल्टा, मौसम्बी, जाफा	–	31 दिसम्बर, 2022
(द) किन्नों, आँवला, करोंदा	–	31 जनवरी, 2023
(य) बेर	–	30 अप्रैल 2023
(र) आम, बेलपत्र, फालसा	–	30 जून, 2023
(ल) खजूर, जामुन	–	31 अगस्त, 2022

ज्यों ही फलों के चुनाई का समय समाप्त हो जाता है, खरीददार का फलवृक्षों व उन पर लगे फलों पर कोई अधिकार नही होगा। ठेके की शर्तों के अनुसार निश्चित राशि का भुगतान करके फलों की तुड़ाई शीघ्रातिशीघ्र कर ली जाये। फलों की तुड़ाई में अनावश्यक देरी की अनुमति फार्म प्रशासन द्वारा सामान्यतः नहीं दी जायेगी।
8. बाग की जुताई, निराई, सिंचाई, दवाओं का छिडकाव व अन्य वांछित कार्य समय–समय पर आवश्यकतानुसार व उपलब्धतानुसार कराये जायेंगे। ठेकेदार को यह अधिकार नहीं होगा कि वह इन कार्यो पर आपत्ति करे साथ ही उसे यह भी अधिकार नही होगा कि वह इन कार्यो को निर्धारित समय से पूर्व अथवा अधिक करने के लिए फार्म पर अवांछित दबाव डालने या बाध्य करने की कोशिश करें।
9. यदि कोई व्यक्ति बिना ठेकेदार की जानकारी के फल तोड़ता हुआ पाया जाता है तो ठेकेदार उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यदि व्यक्ति फार्म का कर्मचारी अथवा अधिकारी हो तो इसकी सूचना फार्म के निदेशक को देगा।
10. फलों को तोड़ने व सभी प्रकार की सुरक्षा का पूर्ण जिम्मेदार ठेकेदार होगा। किसी दैविक प्रकोप से हुए नुकसान के लिये बोली के बाद फार्म जिम्मेदार नहीं होगा। अगर ठेकेदार चाहे तो उसे अपने खर्च व जोखिम पर फलों का बीमा कराने की

अनुमति होगी। नीलामी स्वीकृति के बाद यदि किसी कारणवश जैसे पेड़ों का उखड़ना, सूखना, बीमारी/कीडों/सूखा/वर्षा/ओला/पाला आदि (प्राकृतिक या अप्राकृतिक) से कोई हानि ठेकेदार को होती है तो फार्म उसका जिम्मेदार नहीं होगा। बोलीदाता ही स्वयँ उक्त हानि को वहन करेगा।

11. यदि खरीददार फलों का एकत्रीकरण व चुनाई का कार्य अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करना चाहता है तो वह एक अधिकार पत्र एवं प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। फल तोड़ने के लिए खरीददार अपने द्वारा लगाये गये व्यक्तियों के नाम व पते, जो बाग में रहेगें फार्म के सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा। फार्म प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत ठेकेदार के नामित प्रतिनिधि/कार्यकर्त्ता मात्र ही फलों की तुड़ाई, सुरक्षा पैकिंग ढुलाई, आदि ठेके से सम्बन्धित कार्यों हेतु फार्म के उद्यान/सुरक्षा अधिकारी की अनुमति से फार्म/उद्यान परिसर में प्रवेश कर सकेगें।

12. यदि कुछ फल फार्म द्वारा परीक्षण आदि के लिए तोड़े गये तो खरीददार उनका विरोध नहीं करेगा तथा कुल फल फार्म के लिए आरक्षित रखे जायेगे जो इस प्रकार होगें–

(अ) माल्टा, मौसम्बी व किन्नों	–	4 क्विण्टल
(ब) अमरूद	–	3 क्विण्टल
(स) आँवला	–	20 किलोग्राम
(द) नीम्बू	–	50 किलोग्राम

जिसकी कोई कीमत नहीं दी जायेगी। फल वृक्षों से कलम आदि लेने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा, यदि इससे फलों को कोई नुकसान होता है तो उसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

13. यदि फार्म की सम्पत्ति को कोई हानि ठेकेदार या उसके किसी आदमी के किसी कृत्य द्वारा होती है तो उसके लिए ठेकेदार/खरीददार जिम्मेदार होगा। किसी भी प्रकार की हानि की कीमत फार्म प्राधिकारी द्वारा तय की जायेगी जिसका भुगतान ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म को करना होगा। इस पर कोई भी आपत्ति तथा किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। झगड़ा या मतभेद के मामले में केन्द्रीय राज्य फार्म, सुरतगढ़ का निर्णय अंतिम होगा।

14. नीलामी के उपरान्त ठेकेदार/खरीददार फलों की सुरक्षा, चुनाई/तुड़ाई, पैकिंग, ढुलाई आदि समस्त फल विपणन कार्य अपने जोखिम व खर्चें पर करेगा तथा साथ ही सभी कर व अन्य प्रभार जैस चुँगी, नगरपालिका आदि से यदि हो तो फल ठेकेदार को स्वयँ वहन करना होगा।

15. खरीददार द्वारा शर्तों की अवहेलना करने पर केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ के सक्षम अधिकारी को जमा की गई धरोहर राभि, प्रतिभूति राभि व अन्य चुकाई गयी किस्तें आदि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। खरीददार बिना निदेशक महोदय की लिखित आज्ञा के कोई भी किसी प्रकार का सौदा या भागीदारी व अन्य हस्तान्तरण किसी अन्य बोलीदाता या किसी व्यक्ति से/को नहीं करेगा।

16. इस सौदे के लिए ј 100/– (रुपये एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध ठेकेदार को करना होगा। स्टाम्प पेपर पर हुए खर्च को ठेकेदार वहन करेगा। यह अनुबन्ध ठेका स्वीकृत होने के 3 दिनों के अन्दर ही करना होगा।

17. खरीददार फार्म ऐरिया में कोई पशु आदि नहीं रखेगा, ना ही घास–फूस आदि काटेगा और फार्म की बिजली का प्रयोग भी नहीं करेगा। यदि फार्म द्वारा बिजली का प्रबन्ध संभव होता है तो फार्म द्वारा निश्चित की गई राभि मासिक अन्तराल पर अग्रिम आधार पर ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म खजाँची के पास जमा करानी होगी।

18. नीलामी के पश्चात अगर बोलीदाता समय पर निर्धारित धनराभि जमा नही करता है तो उसे फल तोड़ने से रोका जा सकता है जिसके नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही देरी से धन राभि जमा करने पर 18 प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष की दर से देय होगा, जो अधिकतम एक सप्ताह के अंदर जमा कराना होगा। बकाया रकम व ब्याज जमा न करने पर बिना सूचना दिये ठेके को रद्दकर पुनः ठेका कराया जा सकता है या फार्म अपने स्तर पर बचे फल बिना नीलामी बेच सकता है। जिसके लिए ठेकेदार कोइ विरोध नहीं करेगा। ठेकेदार की धरोहर राभि प्रतिभूति राभि व अन्य जमा की गई राभि जब्त कर ली जायेगी। यदि पुनः ठेका की प्रक्रिया में कोई हानि फार्म की होती है तो उसकी उगाही ठेकेदार से की जा सकती है।

19. शर्तों की अवहेलना करने पर बाग की दोबारा नीलामी उच्चतम बोलीदाता की जिम्मेदारी पर की जायेगी। उस हालत में धरोहर राभि व प्रतिभूति राभि और उस वक्त तक जमा की गयी किस्म राभि व जो भी राभि फार्म में ठेकेदार द्वारा जमा किया गया है, को जब्त कर लिया जायेगा। यदि दोबारा नीलामी में पहली बोली से कम धन राभि आती है तो वह राभि प्रथम बोलीदाता से वसूली जायेगी।

20. साधारणतयाः फलों को बगीचे से बाहर ले जाने के लिए अनुमति कार्य दिवस में प्रातः 7:00 बजे से सायँ 5:00 बजे तक होगी। किसी भी भारी वाहन द्वारा फल ले जाने से पहले फलों का वजन फार्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में करवाकर गेट पास लेना आवभयक होगा। इसके साथ ही अन्य माध्यमों से फलों को बिक्री हेतु बाहर ले जाने से भी पूर्व गेट पास लेना अनिवार्य है।

21. यदि कोई भी बोलीदाता किसी कम्पनी या संस्था का प्रतिनिधित्व करता है तो बोली बोलने वाले को संस्था या कम्पनी द्वारा प्रमाणित हस्ताक्षर तथा बोली देने या अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।

22. ठेकेदार, उसके प्रतिनिधि या कार्यकर्त्ताओं को कोई भी अस्त्र–शस्त्र लेकर उद्यान या फार्म में प्रवेश करने, बिना अनुमति जबरन फल तोड़ने या उपद्रव करने का कोई अधिकार नही होगा।

23. ठेकेदार या उसका कोई आदमी फार्म के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी से झगड़ा नहीं करेगा सभी शर्तों का पालन करेगा व अपना आचरण अच्छा रखेगा। यदि फार्म ठेकेदार के आचरण को अनुचित पाता है या उसे शर्तों का पालन करने में असमर्थ पाता है तो उसे 5 वर्ष तक के लिए काली सूची में डाला जा सकता है।

24. [kjhnnkj dh mPpre cksyh dh /kujkf"k tek djus dh 'krsa %&

(अ) ठेकेदार को नीलामी धनराभि का 25 प्रतिशत बोली मंजूर होनें के तुरन्त बाद जमा करवाना होगा। यदि ठेकेदार पूरी राभि तुरन्त जमा करवानें में असमर्थ रहता है तो बकाया राभि (अधिकतम 5 प्रतिशत) दो कार्यदिवस में 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा की जा सकती है। निर्धारित समस्त धनराभि जमा करने पर ही ठेके का अनुबन्ध किया जायेगा। अगर पूरी राभि दो कार्य दिवस में जमा नहीं की जाती है तो उस अवस्था में धरोहर राभि व जमा की गई राभि फार्म द्वारा जब्त की जा सकती है ।

(ब) उच्चतम बोलीदाता को बकाया 75 izfr'kr धनराभि निश्चित समय–अन्तरालों पर निम्नवत जमा करवानी होगी ।

uhykeh /ku jkf"k tek djus dh fuf'pr frfFk;k¡%&

d- 15% /kujkf"k fnukad 15-07-2022 rd cjlkrh ve:n] uhcw ,oe vukj dh rkMkbZ djus ls iwoZA

[k- 15% /kujkf"k fnukad 15-08-2022 rd ekSleh o ekYVk dh rkMkbZ 'kq: djus ls iwoZA

x- 20% /kujkf"k fnukad 15-09-2022 rd tkMs@lnhZ dk ve:n Qyku dh rkMkbZ ls iwoZA

?k- 20% /kujkf"k fnukad 15-10-2022 rd lnhZ dk ve:n Qyku dh rkMkbZ ls iwoZA

M- 5% /kujkf"k fnukad 15-11-2022 rd cyi= dh rkMkbZ ls iwoZA

25. किस्तों का निर्धारण फार्म द्वारा फलों की किस्म, फलों के पकने का समय, फलों की मात्रा व कीमत के अनुपात के अनुसार किया जायेगा।

26. अगर खरीददार समय पर निर्धारित धनराभि जमा नहीं करता है तो उसे फल तोड़नें से पूर्व रोक दिया जावेगा। साथ ही देरी से धनराभि जमा करने पर 18 प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष की दर से देय होगा, जो अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा। तत्पश्चात् भी अगर बकाया किस्त जमा नहीं की जाती है तो ठेके को रद्दकर पुनः ठेका कराया जा सकता है जिसके लिए ठेकेदार कोई विरोध नहीं करेगा। बाग की दोबारा नीलामी ठेकेदार की जिम्मेवारी पर कर दी जावेगी।

27. ठेकेदार को अपनी किस्तें समय पर या पूरी राभि जो अनुबन्ध में होगी एक मुश्त ही जमा करानी होंगी। किस्तें टुकड़ों में स्वीकार नही की जायेंगी। अगर किस्त समय पर जमा नही की जाती है तो दूसरी किस्त का समय आ जाता है तो पिछली किस्त जमा न होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। यदि ठेकेदार फार्म द्वारा निर्धारित की गयी तिथियों पर भुगतान नहीं करता है तो फार्म को यह अधिकार होगा कि ठेकेदार द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राभि, प्रतिभूति राभि व उस समय तक जमा की गयी सभी राभि जब्त कर ली जायेगी व ठेका बिना किसी सूचना के समाप्त कर दोबारा कर दिया जायेगा।यदि दोबारा नीलामी में पहली बोली से कम धनराभि आती है तो वह राभि प्रथम ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

28. यदि आयकर अधिनियम व राज्य सरकार के किसी अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर या उपकर लागू होता है तो सम्बन्धित ठेकेदार चुकाएगा।

29 ठेकेदार द्वारा लगाये गये व्यक्ति फार्म क्षेत्र में जँगली या प्रतिबन्धित जानवरों का शिकार नहीं करेगा और ना ही उन्हें परेशान करेगा यदि ऐसा पाया गया तो ठेकेदार स्वयँ जिम्मेवार होगा ।

30. बोली छूटने के बाद वृक्षों अथवा फलों में यदि किसी बीमारी या कीडों का प्रकोप होता है तो इनकी रोकथाम हेतु भरपूर प्रयास पौध संरक्षण फार्म द्वारा किये जावेंगे। यदि पौध संरक्षण अधिकारी व उद्यान अधिकारी द्वारा किये गये उपायों व प्रयासों के उपरान्त भी बीमारी, महामारी, कीटों की पूर्ण रूप से रोकथाम नहीं हो पाती है और यदि इसकी वजह से फलों को कोई हानि होती है तो इस एवज में ठेकेदार को कोई आर्थिक छुट या राहत नहीं दी जावेगी ।

31. ठेकेदार फार्म अधिकारियों को कोई प्रलोभन, तोहफा आदि देने की पेशकश नहीं करेगा साथ ही किसी प्रकार की धमकी, डराने या नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगा।ऐसे मामलों में उसका ठेका रद्द किया जा सकता है। साथ ही उसकी धरोहर राभि जब्त कर उसके विरूद्द कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

32. ठेकेदार बाग में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे फल वृक्षों या बाग को कोई नुकसान पहुँचे। वह अपनी इच्छा से या स्वयँ किसी दवा या छिड़काव, खुदाई, कटाई, आग जलाना, कोई निमार्ण आदि कार्य नहीं करेगा। अगर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार की क्षति फार्म सम्पति को पहुँचती है तो फार्म द्वारा क्षति की आँकलित राभि ठेकेदार को फार्म में जमा करवानी होगी।

33. यदि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिनियम/नियम के अन्र्तगत किसी भी प्रकार की कोई अनुमति/औपचारिकता आवश्यक होती है तो ठेकेदार उक्त सौदे के सम्बन्ध में अपने खर्चे पर उक्त अनुमति प्राप्त करेगा। उल्लंघन की दशा में ठेकेदार स्वयँ जिम्मेवार होगा।

34. बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम,1986 के अनुसार बच्चो व शराब पीऐ हुऐ मजदूरों को बाग के अन्दर लाना व उनसे कार्य करवाना सख्त मना है।

35. फर्मो द्वारा भुगतान केवल RTGS/NEFT या अन्य ऑनलाइन माध्यम से फार्म खाते में जमा करना होगा। फार्म खातों का विवरण निम्न प्रकार है –

Account No : 34056542572
IFSC Code : SBIN0007774
Name of Account holder: NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD SURATGARH
Bank Name : **State Bank of India, Suratgarh**

36. **Arbitration clause (मध्यस्थता खंड) :** यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय–समय पर **संशोधित** किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करनें के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध **निदेशक** इस मुद्दे को हल करनें के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। **पार्टियां** कानून के न्यायालय में जानें से पहले मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

उपरोक्त सभी दिशा–निर्देश/नियम एंव शर्ते मैने ध्यानपूर्वक पढ़ एंव समझ लिये है। उपरोक्त सभी नियम एंव शर्ते के अंतर्गत कार्य नही होने की स्थिति में फार्म मेरे खिलाफ आव यक कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है।

m|ku vf/kdkjh
—r fun'kd

हस्ताक्षर ....
नाम...
पता...
फोन न0...
ई–मेल आई.डी..............................
बैंक खाते का विवरण ....